ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

SBD AGREEMENT

STATE SCHAME (NABARD)

UNDER
RWD WORKS DIVISION BIHARSHARIF

C/S Approved By S.E. RWD Work Circle Nalanda Vide Letter 814(we) Dated 14.08.24

PROJECT NAME:- Road from Remaining work of approach of 3x18.75m HL Bridge at Chulihari Over Kumhari River INCL. 5 YEAR MAINTENANCE.)

REG. NO. :- 2201304 **PAN NO– DXQPK9927N**

TENDER ID- 132461 **BID ID– 577112**

CONTRACTOR NAME **:- ARYAN CONSTRUCTION,**

ADDRESS **:- 16A, SIDHESHWAR NAGAR, PATNA-800001**

AGREEMENT No. :- SBD– ..02../2024-25

ACCEPTED RATE :- 17.75% Below of BOQ Rate.

AGREEMENT Value :- Rs. 61,02,514/-

WORK STARTED DATE :- 29-08-2024

INTENDED DATE OF COMPLETION:-

Sl. No.	Block	Name of Road	Length (in Km)	Main Work Amount	Maint. Amount.	Total
1	Asthawan	**Road from Remaining work of approach of 3x18.75m HL Bridge at Chulihari Over Kumhari River**	0.950	49.21996	11.80518	61.02514
Total			**0.950**	**49.21996**	**11.80518**	**61.02514**

Aryan Construction

29/8/24

Executive Engineer
Rural Work Department
Work Division, Biharsharif

29/8/24

Scanned with CamScanner

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांकः– मु0अ0–1/निविदा–01–255/2024 1572   पटना, दिनांकः–13/8/24

प्रेषक,

ई0 निर्मल कुमार,
मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ** के अधीन **शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड** योजनान्तर्गत **Remaning Work of Approach Of 3x18.75 HL Bridge At Chulihari Over Kumhari River (टेन्डर आई0डी0–132461)** का पथ निर्माण एवं पॉच वर्षीय रख–रखाव कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंगः–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **नालन्दा** का पत्रांक **780 अनु0** दिनांक **09.08.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ** के अधीन **शीर्ष राज्य योजना** (नाबार्ड) योजनान्तर्गत **Remaning Work of Approach Of 3x18.75 HL Bridge At Chulihari Over Kumhari River (टेन्डर आई0डी0–132461) का पथ निर्माण एवं पॉच वर्षीय रख–रखाव कार्य** आपके एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **नालन्दा** के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार **Aryan Construction (Bid ID-577112)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से **–17.75 (सत्रह दशमलव सात पॉच) प्रतिशत** कम पर अर्थात **61,02,514.00 (इकसठ लाख दो हजार पॉच सौ चौदह)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

1. कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व आप स्वयं अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन0एस0सी0/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकधर/बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगें।
9. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।
10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
11. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देगें कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाये।

Aryan Construction
Dharmendra Kumar
Proprietor

Rural Work Department
Work Division, Biharsharif

Scanned with CamScanner

12. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।

13. सफल संवेदक के साथ शीघ्रातिशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत् 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सकें।

14. इस कार्य का व्यय **शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड)** से विकलित होगा।

15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीनें की सातवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।

16. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियंता से परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः करा ले एवं स्वयं भी आश्वस्त हो लें।

17. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगें।

18. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन काराना आवश्यक होगा।

19. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।

20. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है।

21. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।

22. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रत्तर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।

23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जॉच कर लेंगे। किसी प्रकार कि भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ यंत्र–सयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी आश्वस्त हो लेंगे।

24. विभागीय पत्रांक 14/अ0प्र0–03–21/2021–489 अनु0 पटना दिनांक 28.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ** को तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **नालन्दा** अभिलेख हेतु उपलब्ध करा दें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देगें।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/8/24

मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– 1572 पटना, दिनांकः– 13/8/24

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **नालन्दा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ** को उपर्योक्त दिए गए निदेश के आलोक में 24 घंटा के अंदर LOA निर्गत करने हेतु विभागीय पत्रांक 6452/पटना दिनांक 13.12.19 का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे तदनुसार एकरारनामा की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द हो ये सुनिश्चित करेंगे।

13/8/24

मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Aryan Construction
Dharmendra Kumar
Proprietor

29/8/24

Executive Engineer
Rural Work Department
Work Division, Biharsharif

29/8/24

29/8/24

Scanned with CamScanner

हार सरकार

Rural Works Department

Notice Inviting Short Tender (No.-RWD/NABARD/ET/02/2023-24)

xecutive Engineer, Rural works Department Works Division Biharsharif Bihar invites on behalf of Governor of Bihar percentage ite tender (Through e-procurement System, SBD Based) from bona fide, approved and eligible Contractors registered with WD/RCD/CPWD/MES/Railways/Other State/Central Govt. Departments for the following NABARD Works including laintenance for five years after construction of Bridge & Road.

	Name of the Road	Block	Length (in m)	Total Cost (in Lakh)	Bid Security (in Lakh)	Time of Completion (In Month)	Cost of B.O.Q	Amount Payable to
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Remaining work of approach of 3x18.75 High level Bridge at Chulihari Over Kumhari River.	Asthawan	0.950	74.19470	1.48389	9	10000=0	E.E. R.W.D. works Division Biharsharif

. Place, Date & Time of Pre Bid Meeting: Work Circle Nalanda & Works Div-Biharsharif -25.02.2024 (11:00 AM)

ownloading of Bidding Documents : From 26.02.2024 (09:00) To 07.03.2024 (15:00)

nline Bid Submission end date : 07.03.2024 up To 15:00 Hours

ffline Bid Submission end date : 07.03.2024 up To 15:00 Hours

nline Bid Opening date : 07.03.2024 at 15:30 Hours

etails of tender related information can be viewed/ downloaded from the website http://pmgsytendersbih.gov.in. Interested idders will have to register with there DSC (Digital Signature Certificate) in the web site http://pmgsytendersbih.gov.in.

or further assistance regarding e-tendering process kindly contact- Rural Works Department, Works Division, Biharsharif - 03101. Mob.No-8986915070, or email at eerwdbiharsharif@gmail.com

(Er. Anish Kumar Singh)
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Biharsharif

रस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर प्राप्त की जा सकती है।

No.017321 (RWD) 2023-24

से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

Govt. of Bihar

Rural Works Department

Notice Inviting Short Tender (No.-RWD/NABARD/ET/02/2023-24)

Executive Engineer, Rural works Department Works Division Biharsharif Bihar Invites on behalf of Governor of Bihar percentage rate tender (Through e-procurement System, SBD Based) from bona fide, approved and eligible Contractors registered with RWD/RCD/CPWD/MES/Railways/Other State/Central Govt. Departments for the following NABARD Works including Maintenance for five years after construction of Bridge & Road.

S. No.	Name of the Road	Block	Length (in m)	Total Cost (in Lakh)	Bid Security (in Lakh)	Time of Completion (In Month)	Cost of B.O.Q	Amount Payable to
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Remaining work of approach of 3x18.75 High level Bridge at Chulihari Over Kumhari River.	Asthawan	0.950	74.19470	1.48389	9	10000=0	E.E. R.W.D. works Division Biharsharif

Note:-

1. As per RCD's Notification No. 13589 dated 13.12.2011 only those Contractors who are registered under class IV can take part in the tender of work up to 25 lakhs. Contractors who are registered under class I, II, III cannot participate in the tender amounting up to 25 lakhs or less.
2. As per RCD Letter No. 448 & 449 dated 16.01.2020 and RWD Letter No. 292we Date-17.01.2020 May be Applicable.
3. Letter No-4842 dated 14.11.2014 of RWD will be applicable for disposal of technical bid.
4. As per RCD's Letter no.7435(s) dated 14.08.2019, Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration shall be Treated as- The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provision Made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal ACT, 2008.
5. Cost of BOQ Rs.10,000.00 for Bids costing more than Rs .50 lakhs,Rs. 5,000.00 for Rs. 50 lakhs and upto Rs. 15 lakh and Rs. 2,500.00 for below Rs.15 lakhs.
6. Place, Date & Time of Pre Bid Meeting: Work Circle Nalanda & Works Div-Biharsharif -25.02.2024 (11:00 AM)

Downloading of Bidding Documents	: From 26.02.2024 (09:00) To 07.03.2024 (15:00)
Online Bid Submission end date	: 07.03.2024 up To 15:00 Hours
Offline Bid Submission end date	: 07.03.2024 up To 15:00 Hours
Online Bid Opening date	: 07.03.2024 at 15:30 Hours

Details of tender related information can be viewed/ downloaded from the website http://pmgsytendersbih.gov.in. Interested Bidders will have to register with there DSC (Digital Signature Certificate) in the web site http://pmgsytendersbih.gov.in.

For further assistance regarding e-tendering process kindly contact- Rural Works Department, Works Division, Biharsharif - 803101. Mob.No-8986915070, or email at eerwdbiharsharif@gmail.com

10/2/24

(Er. Anish Kumar Singh)
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Biharsharif

10/2/24

29/8/24

Aryan Construction
Dharmendra Kumar
Proprietor

29/8/24

Rural Work Department
Work Division, B...

29/8/24

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा

पत्रांक 150 अं0 नालन्दा/दिनांक 31/01/2024

प्रेषक,

ई0 हृदयानन्द महतो,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ।

विषय :- शीर्ष-4515 नाबार्ड योजनान्तर्गत 01 (एक) पथ के निर्माण कार्य का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-97(अनु0) दिनांक-31.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित योजनान्तर्गत 01(एक) पथ के निर्माण कार्य का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन कर वापस की जाती है। सभी पृष्ठ अनुमोदित है।

क0	योजना का नाम	पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की राशि (रूपया में)
1	Remaining work of approach of 3x18.75 High level Bridge at Chulihari Over Kumhari River.	7419470.00

अनु0:-यथोक्त (एक प्रति मूल में)।

विश्वासभाजन,

ई0 हृदयानन्द महतो,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

Aryan Constr...
Dharmendra Kumar
Proprietor

29/8/24

Executive Engineer
Rural Work Department
Work Division, B...
29/8/24

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-374/2019 - 3987 / पटना, दिनांक- 11/9/19

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन अस्थावाँ प्रखंड के अधीन कुम्हरी सरबहदी पथ से चुलिहारी के बीच कुम्हरी नदी पर पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 58.08 मी0 निर्माण हेतु रू0 306.905 लाख, एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 20.74 लाख अर्थात कुल राशि 327.645 लाख (तीन करोड सताईस लाख चौसठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन अस्थावाँ प्रखंड के अधीन कुम्हरी सरबहदी पथ से चुलिहारी के बीच कुम्हरी नदी पर पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 58.08 मी0 निर्माण हेतु रू0 306.905 लाख, एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 20.74 लाख अर्थात कुल राशि 327.645 लाख (तीन करोड सताईस लाख चौसठ हजार पाँच सौ रूपये) मात्र है, के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, नालंदा एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगें।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-116/2014 के पृ0 सं0-59/टि0 पर दिनांक 24.10.2018 को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0-मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0 03-374/2019 के पृ0 सं0-03 टि0 पर दिनांक 10.09.2019 को प्राप्त है।
10. वित्त के निर्धारित प्रावधान/प्रकिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायगी।

Arya Construction
Dharmendra Kr
Proprietor

11.9.19.

Executive Engineer
Rural Work Department
Division, Biharsharif

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं/प्रविष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0 03-374/2019 के पृ0 सं0- 6/टि0 पर दिनांक 11.9.19.को प्राप्त है।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवतापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उतरदायी माने जायेंगे।

17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

ह0/ 11.9.19

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-374/2019 - 3987 /पटना, दिनांक- 11/9/19

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 11.9.19.

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-374/2019 - 3987 /पटना, दिनांक- 11/9/19

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/उप विकास, आयुक्त नालंदा/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ग्राडा/मुख्य अभियंता-1, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0-4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 11.9.19.

अपर सचिव

Aryan Consil.
Proprieto.

Scanned with CamScanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या 1730 / बिहारशरीफ, दिनांक 21-12-2023

संवेदक M/s M.S. Enterprises, Nageshwar Colony Boring Road, Patna. पिनकोड–8000001, जिला पटना द्वारा Nabard योजनान्तर्गत Construction of RCC High Level Bridge in the Kumhari Sarbahadi road To Chulihari over Kumhari River including Five years Maintenance एकरारनामा संख्या SBD-01/2020-21 Bridge बनाने हेतु एकरारनामा किया गया था। इस कार्यालय के आदेश संख्या 895 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा एकरानामा को विखंडित किया जा चुका है। SBD की कंडिका 3 (VII) (a) के निहित प्रावधान एवं अभियन्ता प्रमुख सह –अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव के पत्रांक 1117 दिनांक 14.03.2014 के क्रमांक –II के अनुसार दिए गए निदेश के आलोक में वसूलीय राशि।

क्र. सं.	वसूलनीय राशि की विवरणी	कुल राशि
A	अंतिम मापी के अनुसार किये गये कार्य की कुल राशि	2,58,07,809.00
B	घटाय : भुगतान की राशि	2,02,86,694.00
C	घटाय : Unadjusted Advances	Nil
D	घटाय : Liquidated Damage As per Clause-44.1 for Aggrement Amount Rs 32724268.00 @10% (3272427-492504=2779923)	27,79,923.00
E	घटाय : अपूर्ण कार्य की राशि का 20% अर्थात (79,17,562.00 का 20%)	15,83,512.00
F	F=A-(B+C+D+E) 2,58,07,809.00–2,46,50,129.00 =1157680.00	11,57,680.00

अत : समायोजन के पश्चात् शेष राशि 11,57,680.00 संवेदक को भुगतान करने की कार्रवाई की जाए।

21/12/23 21/12/23 21/12/23

(ई0 अनीश कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ

ज्ञापांक 1730 / बिहारशरीफ, दिनांक 21-12-2023

प्रतिलिपि :– M/s M.S. Enterprises, Nageshwar Colony Boring Road, Patna. पिनकोड–8000001, जिला पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/12/23 21/12/23 21/12/23

(ई0 अनीश कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ

Scanned with CamScanner

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- 11/ प्र0-05-237 / 2023 366 अनु0 पटना, दिनाक- 29/01/24

प्रेषक,

ई0 खलीकुज्जमा,
मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा मे,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **नालन्दा।**

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ** के अधीन **शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड)** अन्तर्गत Remaning work Of Approach Of 3x18.75 HL Bridge At Chulihari Over Kumhari River **तक पथ का निर्माण एवं पॉच वर्षीय रख-रखाव** कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के सबध मे।

प्रसग:-आपका पत्रांक **1438** अनु0 दिनांक **23.12.2023**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) अदद पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एव पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' मे अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एव 05 मे अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नही होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यो के सबध मे समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति को दरो की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, औरंगाबाद ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर मे नही है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक मे उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन मे स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आडी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जॉच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एव तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सडक मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति सलग्न है।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ** के अधीन **शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड)** अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:–

क्र0 स0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Asthawan, Remaning work Of Approach Of 3x18.75 HL Bridge At Chulihari Over Kumhari River	0.950	Letter N0-3981 Date-11.09.2019	327.645	333.855

अनु0–पुनरीक्षित स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह0 / 29/01/24
मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 366 अनु0 पटना, दिनांक– 29/01/24

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बिहारशरीफ** को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / 29/01/24
मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with CamScanner

TSN- 3,
23/1/24

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।

प्रशासनिक स्वीकृतिः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरणी

1. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है. यह अपने आप में पूर्ण नही है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **नालन्दा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नही. कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एव निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विरतृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियता की होगी।
6. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:–

   प्रस्तावित स्थलो पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आडीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एव आडीकाट मे जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण मे व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन मे Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण मे कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नही किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाय।
15. अधीक्षण अभियता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ मे वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत ही निविदा संबधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. कार्य कितने ग्रुप में होगा, इसका अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
18. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से **शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड)** योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबध मे समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हो।

Scanned with CamScanner

19 स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसके कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।

20 प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।

21. स्वीकृत प्राक्कलन मे वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

22 मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।

23 गुणवत्ता की जाच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।

24 जिन कार्यो का दर अनुसुचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयो द्वारा अधि[illegible] को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति [illegible] संयोजक एव उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक मे उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।

25 पूर्व मे कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा मे प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्माण मे प्रयुक्त किया जाये।

26. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

27. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जाच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।

28. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकडो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमे भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

29 कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नही कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।

30. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन मे किए गए प्रावधानो को यथावत रखा गया है।

31. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से ही देय होगी।

32. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एव तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सडक मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग पटना